

24.10.17

प्राथी पक्ष कबील श्री अब्दुल रहमान मोह (उपस्थित)
 अश्ली अली खां व चानंग खां के बर्कत उपस्थित
 पक्ष कायम कबील को बुला गया। प्राथी पक्ष का प्राथी
 पत्रा RS 100/- कोर्ट पर स्वीकार किया गया तब
 दिनांक 30.6.2017 को अदम हाजरी अदम पैरवी करके
 प्राथी पक्ष को बुला कर पर लेने के
 इन्देश दिए जाते हैं। प्राथी पक्ष फेसल बुलाए।
 नक्स से कद हो। बाद तत्काल नाकिल दफ्तार हो
 पत्रावली प्राप्त प्राथी पक्ष के सहाय हो। कोर्ट राक्षि चानंग
 जमा की पालना पक्ष देने पर पत्रावली दफ्तार हो।

साकेत
 जिला न्यायाधीश

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]